राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141- 2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Gyandoot/2021-22/35; दिनांक : 14th Dec. 2021

प्राचार्य एवं संकाय सदस्यगण,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय : ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में **पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर विद्यार्थी हितार्थ विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम संबंधी ऑनलाइन लाइव कक्षाओं के आयोजन बाबत।**

महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा संचार, विषयपरक ज्ञानवर्द्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं उनके समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आरम्भ ज्ञानदूत कार्यक्रम का दूसरा चरण **ज्ञानदूत 2.0** आरम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करवाई जायेंगी। **वृहद् विद्यार्थी हित में इन कक्षाओं को लेने के लिये बिना किसी व्यक्तिगत व्यवधान/असुविधा के पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्यों से इस कार्यक्रम में व्याख्यान देने हेतु उनके नाम के प्रस्ताव आमंत्रित है।**

पुनः स्पष्ट है कि वे इच्छुक शिक्षक साथी, जो स्वैच्छिक आधार पर सकारात्मक, सृजनात्मक एवं रचनात्मक वातावरण निर्माण एवं शैक्षणिक उन्नयन में योगदान देने की इच्छा रखते हैं, ताकि विद्यार्थियों की अकादमिक सहायता की जा सके, ही इस कार्यक्रम हेतु अपने नाम प्रेषित करें। इसके लिये किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है।

यह अध्यापन व्यवस्था नियमित अध्यापन के अतिरिक्त केवल एक सहायक शिक्षण व्यवस्था है, तथा किसी भी रुप में नियमित कक्षाओं का प्रतिस्थापन नहीं है। अतः इन कक्षाओं को विभाग द्वारा अतिरिक्त सहायता कक्षाओं के रुप में ही देखा जाना चाहिये।

योजना की उपादेयता :

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम अनुरूप/स्तर पर विद्यार्थियों को टॉपिक्स पर ऑनलाइन लाइव व्याख्यानों के माध्यम से सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान सम्प्रेषण करवाना है। इससे विद्यार्थियों को परीक्षाओं की सतत तैयारी का माध्यम उपलब्ध होगा, साथ ही ऑनलाइन लाइव संवाद से विद्यार्थियों की अकादमिक समस्याओं का समाधान भी होगा। साथ ही विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करवाते हुए उनके शैक्षणिक उन्नयन हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी स्वैच्छिक सेवा मंशा से जुडने वाले शिक्षक साथियों की सहायता से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में विशेष योगदान दिया जा सकता है।

इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष लाभ उन संस्थानों के विद्यार्थियों को अधिक मिलेगा जहां संबंधित विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, अथवा किसी अन्य कारण से कक्षाएं बाधित हो रही हैं।

योजना से लाभ :

इस योजना से महाविद्यालयी संस्थाओ, शिक्षकों एवं स्वयं विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ अपेक्षित हैं –

1. इच्छुक विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन का निःशुल्क अवसर।
2. संस्थाओं की युवाओं में सकारात्मकता, सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता के प्रति भागीदारी से सहभागी संस्थाओं को उनके वार्षिक मूल्यांकन (AAP) एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन (NAAC) में लाभ मिलेगा।
3. इच्छुक शिक्षक, जो स्वैच्छिक आधार पर सकारात्मक, सृजनात्मक एवं रचनात्मक वातावरण निर्माण एवं शैक्षणिक उन्नयन में योगदान देना चाहते हैं, ताकि युवाओं को प्रतिकूल एवं नकारात्मक सोच से विमुख किया जा सके, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकेंगे।

4. इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्कृष्ट ई–कन्टेन्ट तैयार होगा, जिसे विभिन्न ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यमों से पुनः उपयोग में लिया जा सकेगा। इस प्रकार इन कक्षाओं के माध्यम से अन्तिमतः चयनित विषयों में गुणवत्तापूर्ण ई–कन्टेन्ट तैयार होगा, जो विद्यार्थियों की सहायतार्थ 24X7 ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

योजना में लाभार्थी/सेवार्थी कौन :

राज्य के सभी राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में पढ रहे सभी यथा लागू विषय संवर्ग के विद्यार्थी, लाभार्थी रुप में एवं एवं इच्छुक शिक्षकगण सेवार्थी रुप में इस योजना में जुड सकते हैं। इस कार्यक्रम को माह दिसम्बर 2021 के चतुर्थ सप्ताह से आरम्भ किया जाना है।

योजना की कियान्विति :

इस योजना की कियान्विति हेतु राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्वैच्छिक आधार (Volunteer basis) पर उनके स्वयं के प्रस्ताव के माध्यम से जोडा जा जाना है। विश्वास है कि श्रेष्ठ अभिरुचि रखने वाले अनेक शिक्षक इस कार्यक्रम से जुडेंगे। इस योजना के कियान्वयन हेतु –

1. सभी इच्छुक शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है।
2. सभी शिक्षक, जो स्वैच्छिक आधार (Volunteer basis) पर इस योजना के माध्यम से विद्यार्थी हित में जुडकर अपने ऑनलाइन लाइव व्याख्यान देने की मंशा रखते हैं, नीचे दी गई लिंक पर अपना **दिनांक 20 दिसम्बर 2021 तक** रजिस्ट्रेशन करें।

   शिक्षक रजिस्ट्रेशन लिंक : https://bit.ly/31AtRZA

3. जो विद्यार्थी इन ऑनलाइन लाइव कक्षाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं, नीचे दी गई लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। **विद्यार्थियों के लिये रजिस्ट्रेशन की कोई अन्तिम तिथि नहीं है।**
4. **ये ऑनलाइन लाइव कक्षाएं शीघ्र आरम्भ होंगी, अतः इच्छुक विद्यार्थी शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करें।**

   विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन लिंक : https://bit.ly/3dqLUnE

शुचि त्यागी, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
राजस्थान

पत्रांकः CCE/ISDC/Gyandoot/2021-22/36; दिनांक : 14th Dec. 2021

सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
6. समस्त प्राचार्य एवं अध्यक्ष, जिला संसाधन सहायता समिति (DRAC) को निर्देशानुसार इस योजना का जिला स्तर पर अधिकतम प्रचार–प्रसार करवाने हेतु।
7. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को समन्वय हेतु।
8. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर को अपने अपने संबंधित महाविद्यालयों तक सूचना प्रेषण हेतु।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास, आकाशि